


प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामीर मे जारी हुए
<p>10-2)</p>	<p>पत्रावली आज दिनांक 06.10.2021 को प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 ग्राम पंचायत शिवाड़ में पेश हुई। प्रकरण में तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा में अपनी रिपोर्ट बिन्दुवार निम्नानुसार पेश की है-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. यह है कि प्रार्थी की माता सरस बाई पत्नि स्व० उमाशंकर जाति ब्राम्हण के नाम खाता संख्या 675 में खसरा नंबर 4757/5536 रकबा 0.38 है० भूमि ग्राम शिवाड़ में स्थित है। 2. य है कि साबिक खसरा नंबर 3870/1 रकबा 1 बीघा दस बिस्वा के नवीन खसरा नंबर 4754/5536 रकबा 0.38 है० बने हैं। 3. यह है कि आवंटन आदेश में सरस्वती बेवा उमाशंकर ब्राम्हण ग्राम शिवाड़ दर्ज है। जमाबंदी संवत् 2037-2040 में खसरा नंबर 3870 के समक्ष सरस्वती बेवा उमाशंकर ब्रा० 29.06.76 नामान्तरकरण संख्या 871 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा का नोट अंकित है। अतः नाम शुद्ध किया जाना उचित है। <p>मैंने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट का अवलोकन एवं मनन किया। मैं प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खसरा नंबर 4754/5536 वाके ग्राम शिवाड़ में सरस बाई के स्थान पर सरस्वती पत्नि उमाशंकर किये जाने के आदेश प्रदान किये जाकर तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा को निर्देशित किया जाता है कि वे राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती की जाकर पालना से न्यायालय को अवगत करावें।</p> <p style="text-align: right;">  शिविर प्रभारी एवं उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा </p>	